अत्यन्त महत्वपूर्ण

पत्रांक : 2580/सा0-2/अवहित

प्रेषक,

सचिव,
पशुधन,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त उपनिदेशक,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

अनुभाग-1 लखनऊ..13...जुलाई 2007

महोदय,

जैसा कि आप पूर्व से अवगत है कि प्रदेश में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग कर पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं को बलपूर्वक यातना देकर उनका दूध निकाला जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव मानव शरीर पर तो पड़ता ही है पशुओं में भी बाँझपन व अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें उत्पन्न हो जाती है।

इस दिशा में पूर्व में पशुपालन विभाग के अधिकारियों, सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रुयलटी टू एनीमलस् (एस0पी0सी0ए0) के कार्यकर्ताओं, औषधि निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, डेयरी विभाग, पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के सहयोग से एक सघन अभियान चलाया जा चुका है। जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले थे। परन्तु लगातार प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण ऑक्सीटोसिन का अनुचित प्रयोग पुनः बढ़ गया है। शासन स्तर पर समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी के स्तर से इस संबंध में असंतोष व्यक्त किया गया है व अपेक्षा की गई है कि ऑक्सीटोसिन हारमोन इंजेक्शन की अवैध बिक्री व अनुचित प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जाये।

अतः विभाग द्वारा दिनांक 25/07/2007 से **एक माह का विशेष सघन अभियान** चलाया जाये, जिसमें जनपद स्तरीय स्वास्थ्य विभाग, दुग्ध विकास, पुलिस प्रशासन व एस0पी0सी0ए0 के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

1. इस अभियान में जनपद की पशुशालायें एवं दुग्धशालायें जहाँ एक साथ रखे गये पशु जिसमें दूध दे रहे पशुओं की संख्या 10 से अधिक है का औचक निरीक्षण किया जाये तथा यदि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें। यह संज्ञान में लाना उचित होगा कि शासन द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी, एस0पी0सी0ए0 के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों व सचिवों, को सम्बन्धित

जनपदों के अन्तर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 32 व 34 के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2. क्षेत्र के औषधि विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण औषधि निरीक्षक के साथ किया जाये तथा अवैध रूप से मिले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. औषधि विक्रेता को सचेत किया जाये कि बिना पंजीकृत पशुचिकित्साविद् के प्रिस्क्रिप्सन के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पशुओं के उपयोग हेतु न बेचें।

4. क्षेत्र में आयोजित पशुमेलों, प्रदर्शनियों, पशुहाटों, पशुपालन शिविरों, पशुपालन गोष्ठियों, बांझपन निवारण शिविरों में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुष्प्रभावों के बारे में पशुपालकों के साथ चर्चा करें तथा जन सामान्य को सचेत करें।

5. स्थानीय दैनिक पत्रों के पत्रकारों को इस अभियान में सम्मिलित कर जन चेतना जागृत करे एवं इस हारमोन के दुष्प्रभावों को बताते हुये, पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण, आदि विषयों पर समाचार प्रकाशित करायें।

अभियान की साप्ताहिक सूचना पशुपालन निदेशालय के दूरभाष नं0 0522-2740010 एवं फैक्स नं0 0522-2740202 पर संलग्न प्रारूप पर प्रति सोमवार को भेजना सुनिश्चित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये एवं किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।

भवदीय

Gangadeen 13/07/07

सचिव,

पशुधन,

उत्तर प्रदेश शासन ।

पत्रांक 2580/सत्त-2/आवश्यक तदि्दनांक : 13-7-2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 मंत्री जी, पशुधन, उत्तर प्रदेश सरकार के निजी सचिव ।
2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5 प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 ।
6- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस अभियान में सहयोग हेतु निर्देशित करें।

7 मुख्य औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ औषधि निरीक्षकों को निर्देशित करे कि वे औषधि विक्रेताओं की दुकानों का इस संबंध में निरीक्षण करे व अभियान में सहयोग दें।

8- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे भी अपने स्तर पर सुनिश्चित कर ले कि सभी जनपदों में प्रभावी कार्यवाही की जाये। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित प्रारूप पर सूचना शासन को उपलब्ध करायें।

9- समस्त, मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।

10- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

12- समस्त परिक्षेत्र पुलिस उप महा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

13- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।

14- समस्त वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

15- सूचना एवं जन संपर्क विभाग को बृहद प्रचार प्रसार हेतु ।

Gangadeen
13/07/07

सचिव,
पशुधन,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रारूप

1- जनपद में अभियान आरम्भ होने की तिथि -

2- विभागीय अधिकारियों द्वारा जनपद में डेरियों का ऑक्सीटोसिन प्रयोग रोकने हेतु निरीक्षण संख्या (10 पशुओं से अधिक की डेयरी अथवा एक एक स्थान पर 10 से अधिक दुधारू पशुओं की डेयरी)

(क) निरीक्षण की गयी डेयरियों की सूची पशुसंख्या पता

(ख) ऑक्सीटोसिन प्रयोग हो रहा है/नही हो रहा है-

3- ऑक्सीटोसिन की अवैध बिक्री/अनुचित प्रयोग रोकने हेतु किये गये प्रचार-प्रसार का विवरण -

(क) दैनिक पत्रों में प्रकाशित सूचना/समाचार की कटिंग

(ख) गोष्ठियों का विवरण

(ग) रेडियों/टी0वी0 प्रसारण

(ध) की गई विधिक कार्यवाही का पूर्ण विवरण

4- औषधि की दुकानों की संख्या जहां औषधि निरीक्षक व चिकित्सा अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया

5- अन्य विशिष्ट कार्यवाही का विवरण -